# GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE

# LOK SABHA UNSTARRED QUESTION No. 573 TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 26<sup>TH</sup> FEBRUARY, 2016 7, PHALGUNA, 1937 (SAKA)

#### PAN CARD APPLICATION

### 573. SHRI LAXMI NARAYAN YADAV: SHRIMATI RAMA DEVI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether action with regard to dispose of PAN card application is unnecessarily delayed;
- (b) the reaction of the Government thereto;
- (c) the average number of days taken in issuing PAN card after receiving application for the same;
- (d) whether certain applications are pending with the Government for more than last one year;
- (e) whether any official has been held responsible in this regard and if so, the details of the last three years; and
- (f) if not, the reasons therefor?

#### **ANSWER**

# MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA)

- (a) & (b) Application for PAN card is made in prescribed form and accompanied with prescribed documents for proof of identity and proof of address of the applicant. Application for PAN is made to the service provider viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and UTI Infrastructure Technology and Services Limited (UTIITSL). The service provider has online system available for the applicant for tracking the status of his PAN application.
- (c) Wherever complete, correct and digitised PAN application is received, the average time taken in PAN allotment and intimation of PAN through PAN service provider is around 2-3 days. For applications received through e-Biz portal of the Government, PAN is allotted in T+1 days. The allotted PAN is immediately intimated to applicant through SMS, e-mail and is available on tracking website.
- (d) The applicant is required to correct the shortcomings in PAN application. The service provider in consultation with the income-tax department issues PAN once the deficiency is removed. In case of non-removal of deficiency, PAN applications cannot be processed leading to delay in issuance of PAN.
- (e) & (f) Does not arise in view of reply given at (d) above.

-----

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

#### लोक सभा

# अतारांकित प्रश्न सं. 573

(जिसका उत्तर श्क्रवार, 26 फरवरी, 2016/ 7 फाल्ग्न, 1937 (शक) को दिया जाना है)

# पैन कार्ड आवेदन

573. श्री लक्ष्मी नारायण यादव:

श्रीमती रमा देवी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पैन कार्ड आवेदन संबंधी कार्रवाई में अनावश्यक विलंब किया जाता है;
- (ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) इसके लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् पैन कार्ड जारी करने में औसतन कितने दिनों का समय लगता है:
- (घ) क्या कतिपय आवेदन एक वर्ष से अधिक समय से सरकार के पास कतिपय आवेदन लंबित है;
- (ङ) क्या इस संबंध में कोई अधिकारी जिम्मेदार है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

#### उत्तर

# वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

- (क) और (ख) : पैन कार्ड के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाता है और उसके साथ आवेदक की पहचान और पते से सम्बन्धित प्रमाण के कागजात भी संलग्न किए जाते हैं। पैन के लिए आवेदन नेशनल सेक्यूरिटीज डिपाजिटरी लि॰ (एन एस डी एल) और यू॰टी॰आई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नालाजी एण्ड सर्विसेज लि॰ (यू॰टी॰आई॰आई॰टी॰एस॰एल॰) जैसे सेवा प्रदाताओं के पास किया जाता है। इन सेवा प्रदाताओं ने आवेदकों के लिए आन लाइन व्यवस्था कर रखी है जिस पर आवेदक अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
- (ग) : पैन के लिए जब पूर्ण रूप से भरे गये, सही डिजिटाइज्ड आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो पैन का आबंटन करने और पैन सेवा प्रदाता के माध्यम से पैन के बारे में जानकारी देने में औसतन 2-3 दिन का समय लगता है। सरकार के ई-बिज पोर्टल से प्राप्त होने वालेआवेदनों के मामलों में T+1 दिनों में पैन का आबंटन कर दिया जाता है। पैन के आबंटन के बारे में आवेदकको एस एम एस, ई-मेल के माध्यम से तत्काल सूचना दे दी जाती है और वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- (घ) : आवेदक को पैन आवेदन की किमयों को ठीक करना होता है। त्रुटि दूर होने के पश्चात सेवा प्रदाता, आय कर विभाग के परामर्श से पैन जारी करता है। त्रुटि को ठीक नहीं करने के मामले में, पैन आवेदनों को प्रोसस नहीं किया जा सकता जिसका परिणाम पैन जारी करने में विलम्ब होता है।
- (ङ) और (च): उपर्युक्त (घ) पर दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*